संख्या-20-3448/86-2014-278/2011

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर, 2014

विषय- प्रदेश में नदी तल में पाये जाने वाले उपखनिजों यथा बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर, आदि के खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने हेतु क्षेत्रों की उपलब्धता की घोषणा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1327/एम-1 ए 15/2014, दिनांक 18-11-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा "उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) नियमावली, 1963"(यथा संशोधित) के अध्याय-2 के अंतर्गत खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्धता घोषित करने के लिए उपलब्ध कराये गये आर्दश प्रपत्र पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदर्श प्रपत्र को निम्नलिखित संशोधनों सहित अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आदर्श प्रपत्र के बिन्दु संख्या-7(6) में कोष्ठक में यह अभियुक्ति अंकित की गयी है कि "(यदि आवेदक उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है, प्रस्तुत करता है तब उसे बिन्दु संख्या-6(I) एवं (II) के लिये प्रयोज्य मान लिया जायेगा।)" इसे उक्त आदर्श प्रपत्र से हटा दिया जाए।

(2) आदर्श प्रपत्र के बिनदु संख्या-11 में रखी गयी व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था रखी जाए:-

"समिति द्वारा प्रस्तुत लिपिबद्ध आख्या के प्रकाश में, जिलाधिकारी राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित करेंगे तथा राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे आवेदक के पक्ष में औपचारिक स्वीकृति आदेश निर्गत करेंगे।"

कृपया उक्तानुसार आदर्श प्रपत्र को संशोधित करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को अपने स्तर से तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in